न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0–6 बरेली।

सरकार प्रति मेराज अहमद।
मु0अ0सं0–225/2019
धारा–279, 338 भा0दं0सं0
थाना–हाफिजगंज, जिला बरेली।

दिनांक–18.08.2020 **आदेश**

प्रार्थी/वाहन स्वामी **मेराज अहमद पुत्र श्री सिराज अहमद** द्वारा उपरोक्त मामले में वाहन सं0**–UP25BZ-5147** को अपनी सुपुर्दगी में लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत वाहन उक्त धाराओं में थाना हाजा पर खड़ा है। ज्यादा दिन खड़े रहने से खराब हो सकता है। समस्त कागजात वैध हैं। तदनुसार वाहन अवमुक्त किये जाने की प्रार्थना आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से की गयी है।

सुना तथा थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया। वाहन का टैक्नीकल मुआयना एवं प्रपत्रों का सत्यापन भी विवेचक द्वारा कराया जा चुका है, जिसके संबंध में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा विवेचक ने प्रप्रत्रों के सम्बंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अपनी आख्या में नहीं की है।

प्रार्थी द्वारा वाहन के स्वामित्व के सम्बंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र जो दिनांक 12.07.2017 से 11.07.2032 तक, बीमा प्रमाण पत्र, जो कि दिनांक 10.07.2018 से 09.07.2019 तक दर्शित हैं तथा प्रार्थी/वाहन स्वामी मेराज अहमद श्री सिराज अहमद का ड्राईवर लाइसेंस प्रमाण पत्र, जो कि दिनांक 27.05.2004 से 25.02.2021 तक दर्शित है आदि कागजात प्रस्तुत किये गये हैं। पंजीयन प्रमाण पत्र में प्रार्थी/वाहन स्वामी **मेराज अहमद पुत्र श्री सिराज अहमद** का नाम बतौर पंजीकृत स्वामी दर्ज है। उ0 प्र0 मोटर वाहन नियमावली के नियम 203 ए. व बी., के अनुपालन में प्रश्नगत वाहन के प्रपत्रों का सत्यापन आर.टी.ओ. कार्यालय से विवेचक द्वारा कराया जा चुका है। चूंकि प्रश्नगत वाहन एक यांत्रिक विषय वस्तु है जिसके थाने पर खड़े रहने से उसके क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना है। अतः माननीय उच्चतम् न्यायालय की विधि व्यवस्था 2003 (46) ए0सी0सी0 223 सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम स्टेट आफ गुजरात के वाद मे प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों एवं मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित शर्तों पर प्रश्नगत वाहन सं0–**UP25BZ-5147, प्रार्थी/स्वामी मेराज अहमद पुत्र श्री सिराज अहमद** के पक्ष में अंतरिम रूप से अवमुक्त किये जाने योग्य है :–

1. प्रार्थी मु0–**50,000**/–रू0 (पचास हजार रूपये) का निजी बंधपत्र एवं इसी धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करे कि वह दौरान विचारण वाहन किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा, वाहन के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा एवं न्यायालय द्व ारा तलब किये जाने पर अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा।
3. प्रार्थी समर्थन में प्रस्तुत समस्त प्रपत्रों की तीन–तीन स्वयं प्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत करें।
4. स्वामित्व संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होने पर प्रार्थी न्यायालय के आदेश पर तत्काल वाहन को न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर संबधित थाने न्यायालय द्वारा आदेशित के समक्ष अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा।

अतः थानाध्यक्ष हाफिजगंज, जिला बरेली को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत वाहन, यदि किसी अन्य मुकदमें मे वांछित न हो, तो अविलम्ब प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के वाहन के स्वामित्व सम्बंधी अभिलेखों व आवेदक के पते की विधिवत तस्दीक कर पंजीकृत स्वामी के पक्ष मे अंतरिम रूप से अवमुक्त करें।

दिनांक–18.08.2020

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–06, बरेली।